न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/113
मिसलनम्बर–31 / 2024

1.तेजमल सुमन पुत्र रामदयाल आयु 45 वर्ष जाति माली
2.सत्यनारायण सुमन पुत्र रामदयाल आयु 48 वर्ष जाति माली
3.महावीर सुमन पुत्र रामदयाल आयु 40 वर्ष जाति माली
4.दाखा बाई पत्नी रामकल्याण आयु 71 वर्ष जाति माली
5.पूजा सुमन पुत्री रामकल्याण आयु 25 वर्ष जाति माली समस्त निवासीगण ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा कोटा राजस्थान जर्ये मुख्तारआम आबिद खान पुत्र अब्दुल गफ्फार आयु 53 वर्ष जाति मुसलमान निवासी करबला ब्रिज के पास हाल निवासी ए–88 अक्षरधाम कॉलोनी थेगड़ा बोरखेड़ा जिला कोटा राजस्थान

–प्रार्थीगण

बनाम

1.छोटूलाल पुत्र लालू जी जाति माली
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 12/12/24

उपस्थिति:–

1.श्री बृजबिहारी गोचर अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री अशोक मीणा अधिवक्ता अप्रार्थी 1

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खाता संख्या नया 31 पुराना 25 की खसरा संख्या 16 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि खातेदार लालूजी जाति माली के खाते दर्ज रिकार्ड थी जो बाद सेटलमेन्ट 2038–57 के पश्चात नये खसरा नं० 48 बनाये गये। जो वर्तमान मे खसरा नं० 48 रकबा 1.23 हैक्टर एवं खसरा नं० 50/272 रकबा 0.47 हेक्टर स्थित है। लालूजी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी ने लालूजी की पुत्रियो जिसमे रामो बाई व केसर बाई के जीवित वारिसान के तथ्य को छिपाकर मात्र रामपाल, छोटू व रामगोपाल के नाम फोती इन्तकाल तस्दीक करवा लिया। इस कारण केसर बाई व रामो बाई का नाम दर्ज रिकार्ड होने से रह गया। चूंकि केसर बाई अपने भाईयो पर पूर्ण विश्वास करती थी इसलिये उसने कभी राजस्व रिकार्ड को जानने की कोशिश नही की तथा केसर बाई के हिस्से की कृषि भूमि पर प्रतिवादी रामगोपाल व छोटू ही काश्त करते रहे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

एवं केसर बाई को मुनाफा देते रहे। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे केसर बाई का 1/5 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण स्व0 लालजी के जीवित उत्तराधिकारी है इस कारण वादग्रस्त कृषि भूमि मे 1/5 हिस्से पर अपने खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार बंटवारा करने के लिये कहा गया लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा बटवारा नहीं किया गया तथा दिनांक 18.06.2023 को जब प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बंटवारा करने के लिये कहा गया तो उन्होने स्पष्ट इंकार कर दिया तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि खातेदारी मे प्रतिवादी का नाम ही है इस कारण वे पूरी जमीन को बेच देगे। प्रतिवादीगण द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि को प्रोपर्टी डीलर के माध्यम से बेचान करने का प्रयास किया जा रहा है तथा वाद के निस्तारण मे समय लगने की संभावना है इस कारण दोराने वाद वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 48 एवं खसरा संख्या 50/272 ग्राम मानपूरा पटवार हल्का नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 48 एवं खसरा संरख्या 50/272 ग्राम मानपुरा पटवार हल्का नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय कांउटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 48 की रकबा 1.23 हैक्टर भूमि जमाबंदी में नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज है तथा खसरा नम्बर 50/272 की रकबा 0.47 हैक्टर भूमि प्रतिपक्षी क्रम–1 के खाते दर्ज है, जिस पर प्रतिपक्षी का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिपक्षी के पिता लालू जी का स्वर्गवास प्रतिपक्षी के बचपन में सात वर्ष की आयु में ही हो गया था क्योंकि प्रतिपक्षी कम 1 की आयु कम होने से प्रतिपक्षी क्रम–1 के द्वारा पटवार हल्का से मिलीभगत करने का आरोप झूठा व मनगढ़न्त है। प्रतिपक्षी क्रम–1 के खाते में दर्ज भूमि प्रतिपक्षी क्रम –1 के मालिकाना स्वामित्व व आधिपत्य की है, जिसमें प्रार्थीगण का कोई भी हक अधिकार निहित नहीं है और ना ही प्रतिपक्षी क्रम –1 के द्वारा कभी भी केसर बाई की भूमि को मुनाफा काश्त पर लिया इसलिये केसर बाई को कोई भी मुनाफा राशि देने का कारण उत्पन्न नहीं होता है। प्राथीगण के द्वारा झूठें व मनगढ़न्त तथ्य अंकित किये गये है इसलिये प्रार्थना– पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण लालू के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी नहीं है इसलिये किसी भी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इसलिये भी प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी क्रम–1 की भूमि में प्रार्थीगण का कोई भी हक हिस्सा निहित नहीं है। और ना ही उक्त भूमि पुश्तैनी है और ना ही प्रार्थीगण, लालू के विधिक वारिसान है इसलिये प्रतिपक्षी से बंटवारा करवाने व करने का कोई भी उत्पन्न नहीं होता है और ना ही प्रार्थीगण के द्वारा प्रतिपक्षी क्रम–1 से दिनांक 18.06.23 को प्रार्थीगण की भूमि में बंटवारा करने के लिये कहा और प्रतिपक्षी क्रम–1 के द्वारा इंकार किया गया हो, झूठे व मनगढ़न्त तथ्य अंकित किये है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिपक्षी क्रम–1 की रिकॉर्डेड स्वामित्व चला आ रहा है और उक्त भूमि में प्रार्थीगण को बंटवारा करवाने का कोई भी विधिक अधिकार नहीं है इसलिये भी प्रार्थना – पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी कम–1 को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने, निर्माण रहन, बेचान इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। खसरा नम्बर 50/272 की भूमि प्रतिपक्षी क्रम–1 की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 48 नगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज है और रिकॉर्डेड खातेदार होने के पश्चात् भी प्रार्थीगण के द्वारा आवश्यक व उचित पक्षकार होने पर ही नगर विकास न्यास, कोटा को प्रस्तुत प्रार्थना –पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये प्रार्थना–पत्र पक्षकारों का असंयोजित होने और प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु निहित नहीं होने के कारण उक्त भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इसलिये भी प्रार्थना– पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 50/272 की रकबा 0.47 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम मानपुरा, पटवार हल्का नयानोहरा, भू०अभि0नि0 क्षेत्र रायपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा में स्थित चली आ रही है जो कि प्रार्थीगण की रिकॉर्डड खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है तथा खसरा नम्बर 48 की रकबा 1.23 हैक्टर भूमि बाके ग्राम नयानोहरा, जिला कोटा में स्थित है जो कि वर्तमान जमाबंदी में नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिपक्षी क्रम–1 के मालिकाना स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि को पुश्तैनी भूमि बताकर माननीय न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तृत किया गया है, परतु उक्त प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व प्लीडिंग से स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त भूमि किस प्रकार से प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है और उक्त भूमि में किस प्रकार से प्रार्थीगण हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है, स्पष्ट नहीं किया गया है इसलिये भी प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित पारिवारिक सजरा व वंशावली का त्रुटि पूर्ण अंकन किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से प्रतिपक्षी क्रम–1 की भूमि के सम्बंध में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है इसीलिये भी प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी क्रम–1 की वाद वर्णित भूमि पर कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा नहीं रहा है और कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस नहीं होने से भी खारिज किये जाने योग्य है। भूमि खसरा नम्बर 48 का रकबा 1.23 हैक्टर वाके ग्राम नयानोहरा जिला कोटा में स्थित है जो कि वर्तमान जमाबंदी मे नगर विकास न्यास, कोटा के नाम दर्ज है और प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में नगर विकास न्यास, कोटा आवश्यक पक्षकार होने के पश्चात भी पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पक्षकारों के असंयोजन के कारण भी खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी क्रम 1 की भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर उक्त भूमि को विवादित करते हुये दबाव में बनाया जा सके और भुमि को येन–केन प्रकारेण बाजारू कीमत कम कर दबाव में लेकर बाजार मुल्य से कम कीमत पर खरीदा जा सके इसलिये प्रार्थीगण के द्वारा भुमाफियाओं से सम्पर्क कर उक्त भुमि को बिना किसी अधिकार के इकरारनामा व मुख्तारनामा से बेचान कर और उक्त मुख्तारनामा के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाकर प्रतिपक्षी क्रम 1 पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिये प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनगढन्त व झूठें तथ्य आलेखित किये गये है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस नहीं है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है और अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रतिपक्षी क्रम 1 के पक्ष में निहित होने से प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र विरूद्ध प्रतिपक्षी क्रम 1 इसी स्तर पर सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खाता संख्या नया 31 पुराना 25 की खसरा संख्या 16 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि खातेदार लालूजी जाति माली के खाते दर्ज रिकार्ड थी जो बाद सेटलमेन्ट 2038–57 के पश्चात नये खसरा नं० 48 बनाये गये। जो वर्तमान मे खसरा नं० 48 रकबा 1.23 हैक्टर एवं खसरा नं० 50/272 रकबा 0.47 हेक्टर स्थित है। लालूजी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी ने लालूजी की पुत्रियो जिसमे रामो बाई व केसर बाई के जीवित वारिसान के तथ्य को छिपाकर मात्र रामपाल, छोटू व रामगोपाल के नाम फोती इन्तकाल तस्दीक करवा लिया। इस कारण केसर बाई व रामो बाई का नाम दर्ज रिकार्ड होने से रह गया। पूरी जमीन छोटूलाल के पास है। प्रथमदृष्टया हम 1/5 हिस्से के हकदार है। यदि स्थगन जारी नही किया गया तो जमीन का बेचान हो जाएगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रतिपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र 212 के कथनो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी को पैतृक सम्पत्ति बताया है परन्तु पैतृक होने का रिकॉर्ड पेश नही किया है। भाई की सम्पत्ति में बहनो का हिस्सा कैसे आया , आवेदन में हवाला नही है। अप्रार्थी अपने पिता की मृत्यु के समय 5–6 वर्ष का था, मै, किसी भी हालत में षडयंत्र करने की स्थिति में नही था। प्रार्थीगण द्वारा हिस्सा केवल प्रतिपक्षी नं0 1 मांगा गया है शेष भाईयों व अन्य वारिसानों को पक्षकार नही बनाया गया है। भूमि खसरा नम्बर 48 का रकबा 1.23 हैक्टर वाके ग्राम नयानोहरा जिला कोटा में स्थित है जो कि वर्तमान जमाबंदी मे नगर विकास न्यास, कोटा के नाम दर्ज है और प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में नगर विकास न्यास, कोटा आवश्यक पक्षकार होने के पश्चात भी पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पक्षकारों के असंयोजन के कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है।

1.क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2.क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3.प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

इनको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वे शपथपत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खाता संख्या नया 31 पुराना 25 की खसरा संख्या 16 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि खातेदार लालूजी जाति माली के खाते दर्ज रिकार्ड थी। प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन के पश्चात हम यह पाते है प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया है जिससे उक्त कथन को प्रमाणित किया जा सके। प्रार्थीगण द्वारा यह भी कथन किया है कि उक्त आराजी पर अप्रार्थी काश्त करते थे एवं मुनाफा केसर बाई को देते थे। परन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण के उक्त कथन पर विश्वास किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। उभयपक्षकारान के हक हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के पश्चात ही सम्भव होगा परन्तु इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर यह देखना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में बनना पाया जाता है जो सम्भवतया प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है।

क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है?

प्रस्तुत प्रकरण में जमाबंदी ग्राम मानपुरा सम्वत 2016–2024 में खातेदार रामलाल, छोटू व रामगोपाल पि0 लालू दर्ज रिकॉर्ड है। सेटलमेंट जमाबंद सम्वत 2038–2057 में उपरोक्त आराजी छोटू पुत्र लालू के नाम से दर्ज है। अप्रार्थी आज भी अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है। ज्ञातव्य है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिये उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थी उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई भी ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे विवादाग्रस्त पर प्रार्थीगण का कब्जा प्रमाणित हो। इस कारण प्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त नहीं है इसलिये सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है जबकि पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य सिद्ध है कि उक्त आराजी प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड रही है। प्रतिपक्षी संख्या 1 आज भी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है इसलिये सुविधा का संतुलन प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष में है।

क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रतिपक्षी नं0 1 के पक्ष में बनना पाया गया है। अप्रार्थी नं0 1 खसरा नं0 50/272 का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना नही है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहां इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तो मात्र सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर ही विचार किया जा रहा है जो कि प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने से तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 12/12/24 .....को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा